इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1524

22 अगस्त, 2013 को उत्तर के लिए

पोतों को किराये पर लेने की नीति/प्रक्रिया

1524. श्री नंद कुमार साय:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने आयातों के लिए पोतों को किराये पर लेने की वर्तमान नीति/प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को पोतों को सीधे किराये पर लेने की अनुमति देने का विचार रखती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के इन दो उपक्रमों को इस प्रकार की छूट देने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी छूट से ये दोनों कम्पनियां किस प्रकार से लाभान्वित होंगी ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क): सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों सहित सरकार के स्वामित्व/नियंत्रण वाले कार्गो के संबंध में आयात संबंधी सभी संविदाओं को पोत पर्यन्त आधार (एफओबी) पर अंतिम रूप दिया जाना होता है। नौ-वहन व्यवस्थाएं पोत परिवहन विभाग द्वारा अपनाई गई नीति/प्रक्रिया के अनुसार पोत परिवहन विभाग की चार्टरिंग विंग अर्थात ट्रांसचार्ट पर केंद्रित की जाती हैं। कार्गो/नौ-वहन आवश्यकता के आधार पर नौ-वहन व्यवस्था को अंतिम रूप देने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) द्वारा पूछताछ को ट्रांसचार्ट के पास भेजा जाता है। तत्पश्चात, ट्रांसचार्ट द्वारा इस पूछताछ पर कार्रवाई की जाती है और दर निश्चित करने के बाद कंपनियों के पास मंजूरी हेतु विस्तृत पेशकश भेजी जाती है और कंपनियों द्वारा संप्रेषित निर्णयों के आधार पर पोत परिवहन व्यवस्था संपन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में लदान बंदरगाह पर जहाजों की उपयुक्तता संबंधी पुष्टि के लिए आपूर्तिकर्ता को जहाजों का ब्यौरा भेजना भी शामिल है। यदि कोई अलग व्यवस्था अपनाई जाती है तो पोत परिवहन मंत्रालय की चार्टरिंग विंग (ट्रांसचार्ट) से मामला दर मामला आधार पर पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

(ख) और (ग): जी, हां। सरकार ने दिनांक 16.5.2013 एक प्रस्ताव मंजूर किया है जिसके तहत सेल और आरआईएनएल को ट्रांसचार्ट से संपर्क किए बिना ही जहाजों को सीधे चार्टर करने के लिए अनुमति दी गई है। उम्मीद है कि इस व्यवस्था से जहाजों को सीधे चार्टर करने की नम्यता का लाभ प्राप्त होगा और साथ ही वित्तीय लाभों सहित व्यापक आधार पर संभार तंत्र संबंधी मसलों का समाधान भी होगा।

(घ): ट्रांसचार्ट के बिना जहाजों को सीधे चार्टर करने की छूट से सेल और आरआईएनएल को अपने निजी प्रतिस्पर्धियों के बराबर समान अवसर प्राप्त होंगे और इससे उन्हें गतिशील वैश्विक शिपिंग बाजार में पूर्ण और गहन प्रतिस्पर्धा के जरिए कार्गो परिचालन के तुरंत समाधानों का लाभ प्राप्त होगा।

****